भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

DST@ 50 1971-2021
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Save Paper.
Save Trees.
Save the World.

दूरभाष : 0135-2747051-58
Telephone : 0135-2747051-58
फैक्स/Fax : 0135-2741250
ई–मेल/E-mail
For Adm - dmadc.soi@nic.in
For Estate – estate.madc.soi@gov.in

निदेशक
मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र
DIRECTOR,
MAP ARCHIVE & DISSEMINATION CENTRE
डाक बक्स सं० , POST BOX No.37,
हाथीबड़कला ,देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)–भारत
DEHRADUN-248001(Uttarakhand)-INDIA

इस पत्र का उत्तर निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र के पते से भेजना चाहिए, किसी अधिकारी के नाम से नहीं उत्तर देते समय इस पत्र की संख्या और दिनांक भी हमेशा दी जानी चाहिए
Any reply to this letter should be addressed to the Director, Map Archive & Dissemination Centre, and not to any officer by Name. The No & Date of this letter should be quoted

संशोधित विज्ञप्ति

सं० सम्पदा - 536/13-के-ए/ (संग्रह–21)

दिनांक 24-02-2021

सेवा में,

भारत के महासर्वेक्षक
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
देहरादून |

विषय : टाइप –V के आवासों के सशर्त आवंटन के संबंध में |

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्र सं० संपदा- 2687/13-के-ए (संग्रह-21), दिनांक 23-12-2020 |

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत हाथीबड्कला सर्वे एस्टेट स्थित टाइप-V के आवास केवल विभागीय अधिकारियों के लिये ही आरक्षित कर दिये गये थे | अब उपरोक्त विज्ञप्ति में संशोधन करते हुए टाइप-V के आवास अन्य केंद्र सरकार के विभागों के अधिकारियों को सशर्त आधार पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किये जा सकेंगे | भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आवेदकों / अधिकारियों द्वारा आवास हेतु आवेदन करने पर सशर्त आवंटी को आवास खाली करना होगा |

इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदक के विभाग से Non Availability Certificate (NAC) व Undertaking जो कि HOD से प्रतिहस्ताक्षरित हो, तत्पश्चात ही आवंटन पर विचार किया जा सकेगा | Undertakng आवेदक / अधिकारी के विभाग के मुखिया (स्थानीय कार्यालय नहीं) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है |

अतः विषयक आवासों के इच्छुक आवेदक सशर्त आवंटन हेतु आवेदन कर सकते हैं |

(राकेश सिंह)
कर्नल
निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र

प्रतिलिपि : 1- अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून |
2- इंचार्ज, वेबसाईट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SGO) को इस आग्रह के साथ, कि इस सूचना को वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें |

UNDERTAKING

I (designation) accept the offer of allotment of quarter Type on conditional basis. I shall abide by the following conditions:-

1. I shall accept the condition allotment of Type Quarter 'as is where is' basis.
2. I shall vacate the Type Quarter allotted to me on conditional basis within one month from the date of receipt of vacation notice from Estate office.
3. I shall not ask/claim for any alternative Type of accommodation in case I am ask to vacate the quarter allotted to me on conditional basis.
4. I shall not ask for any change of Type quarter allotted to me on conditional basis.
5. I shall agree to pay the license fee or the higher license fee for the quarter allotted to me on conditional basis and revised license fee, if any, issued from time to time.
6. **In case I fail to vacate the quarter within one month I shall liable to pay to license fee and other charges on market rate and I shall be liable for taking action against me the** appropriate authority as per laid down Estate Rules relating to unauthorized occupation.
7. When I shall get transfer at other station, immediately inform to this office for vacant the quarter.

Signature ....

Name of office ....

Wing/Directorate ....

Countersigned by concern Head of Office – Signature ....

(Head of the Department) – Stamp ....

मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र, देहरादून

फार्म सं0 2

मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, संपदा टाइप–I, टाइप–II, टाइप–III, टाइप–IV, टाइप–V में निवासीय आबंटन के लिए आवेदन पत्र।

मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र, हाथीबड़कला के संपदा अनुभाग में उपयोग के लिए क्रम सं0.............................. टाइप ....

पूर्विकता तारीख ....

M–

---

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में) ....
2. पिता का नाम (केवल ग्रुप डी आवेदकों के लिए) ....
3. पे–बैण्ड (छठे वेतन आयोग के अनुसार) (Pay-band as per 6th Pay Commission) ....
4. पद ....
5. जन्म तिथि ....
6. कार्यालय ....
7. क्या अनुसूचित जाति/जनजाति का है ? ....
8. प्रथम नियुक्ति तिथि ....
9. स्थानांतरण होने की व कार्य ग्रहण करने की तारीख ....
   (स्थानांतरण केस में कार्य ग्रहण करने की रिपोर्ट/गमनागमन आदेश की प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें।)
10. सेवा निवृत्ति की तारीख ....
11. (अ) वह तारीख जिससे कि आवेदक केन्द्रीय राज्य सरकार के अधीन सेवा में जिसमे कि विदेश सेवा, यदि कोई हो की तिथि भी सम्मिलित है, निरंतर रहा है उस टाईप के लिए उसकी पूर्तिकता तारीख होगी समूह 'घ' Group 'D' कर्मचारिवन्द की बाबत आकस्मिक खलासी के रुप में की गई निरन्तर सेवा का 50 प्रतिशत पूर्विकता का अवधारण करने के लिए गणना में लिया जाएगा। ....

    (ब) ऐसे पुनः नियोजित सैनिक के मामले में जिसने रक्षा सेवा सीमान्त प्रसुविधाओं की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में पुनः नियोजित पर अभ्यार्पित कर दिया है और जिसके सेवा में भंगो की यदि कोई सक्षम प्रधिकारी द्वारा माफ कर दिया गया है, उसकी पूर्विकता तारीख का अवधारण करने में गणना में लिया जाएगा। यदि किसी अधिकारी की सेवा में एक भंग से अधिक है तो ऊपर वर्णित प्रसुविधा अंतिम भंग से पूर्व की गई निरंतर सेवा के संबंध में ही अनुज्ञेय होगी। ....
12. निवास का टाईप जिसके लिए आवेदन किया है। ....
13. क्या आप जिस टाईप के निवास के लिए पात्र हैं उससे निचे के टाईप का आबंटन चाहते हैं? और यदि पहले से आबंटन है तो निवास सं0 (टाईप सहित) लिखें। ....
14. आवेदन करने की तिथि को पे–बैण्ड अनुसार ग्रेड–पे ....
15. मूल वेतन 01.01.20..... को नए वेतनमान (Basic Pay as per 6th CPC) अनुसार (वह वेतन जो व्यक्तिगत वेतन विशेष वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि को छोडकर मूल नियम 9(2) के (1) में परिभाषित है।) ....
16. यदि आवेदन पत्र टाईप–V से संबंधित है तो वह तारीख बताई जाए जिससे कि आवेदक लगातार रु0 7600, 8700, और 8900/-- ग्रेड पे ले रहा है। (मूल नियम 9) 2 (क) 1 (के अंतर्गत) ....

क्रमशः ...2/–

17. क्या अधिकारी, उसकी पत्नी / उसके पति और नाबालिग बच्चों के नाम स्थानीय अथवा लगी हुई नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित मकान है ? यदि हाँ है तो उक्त मकान का ब्यौरा :
* जो लागू न हो उसे काट दें। — हाँ / नहीं *

(क) मकान सं0 .... (ख) इलाका / सैक्टर ....

(ग) जिसके नाम है .... (घ) मासिक किराए की आमदनी ....

(च) ऊपर बताए गए मकान से होने वाली मासिक किराए की आमदनी का लिखित प्रमाण संलग्न है। नगरपालिका प्रधिकारियों द्वारा गृह कर के निर्धारण से संबंधित दस्तावेज अथवा पट्टा करार प्रस्तुत करना उपेक्षित है। ....

18. (क) क्या आप स्थाई / स्थायित्व / अस्थाई हैं ? ....
(ख) यदि आप अस्थाई हैं तो आप संपदा शाखा से जमानत पत्र (Surety Bond) लेकर भरें। ....

घोषणा

(1) मैं वचन देता हूँ कि मैं समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय सर्वेक्षण विभाग संपदा के सरकारी निवासों का आबंटन नियम 2010 का पालन करुँगा / करुँगी।

(2) मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे पास देहरादून में विभागीय / सामान्य निकाय आवास (General Pool Accommodation) नही है।

(3) मुझे सरकारी आवास के लिए वारित (debarred) नहीं किया गया है।

(4) मेरे, मेरी पत्नी / मेरे पति अथवा मेरी नाबालिग संतान के नाम स्थानीय अथवा उससे लगी हुई नगरपालिका की सीमा के भीतर अपना मकान है। मुझे, मेरी पत्नी / मेरे पति अथवा मेरी नाबालिग संतान को मकान किराए की आमदनी रु0 .... प्रतिमाह है। जब कभी निजी मकान से प्राप्त किराये में वृद्धि होगी तो मैं आबंटन प्राधिकारी को सूचित करुँगा।

(5) मुझे संपदा निदेशालय अथवा पुनर्वास विभाग द्वारा किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा अथवा अन्य सरकारी / विभाग अन्य सरकारी संगठन अथवा स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अथवा कोई दूसरा मकान आबंटित नहीं है।

(6) मैंने ऊपर जो सूचना दी है वह सही है।

आवदेक के हस्ताक्षर ....
तारीख ....
कार्यालय ....

सं0 .... / — दिनांक ....

मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केंद्र, हाथीबड़कला को अगली कार्रवाई के लिए प्रेषित। आवेदक द्वारा दिए गए समस्त विवरण की कार्यालय अभिलेख से जाँच कर दी गई है और सही प्रमाणित किए जाते हैं ।

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर : ....
नाम (साफ अक्षरों में) : ....
पद : ....
कार्यालय : ....

Reg.No.594/NPGD/12(Form)-15/0013.

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
ई–मेल : dmadc.soi@nic.in (For Adm)
: mtr.soi@gov.in (For Digital Data)
: mriw.dmadc.soi@gov.in (For Maps)
दूरभाष / Telephone: 0135-2747051-58
फैक्स / Fax : 0135-2741250

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
निदेशक
मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र
DIRECTOR,
MAP ARCHIVE & DISSEMINATION CENTRE
डाक बक्स सं0 , POST BOX No.37,
हाथीबड़कला ,देहरादून–248001
(उत्तराखण्ड)–भारत
DEHRADUN-248001(Uttarakhand)-INDIA

इस पत्र का उत्तर निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र के पते से भेजना चाहिए, किसी अधिकारी के नाम से नहीं उत्तर देते समय इस पत्र की संख्या और दिनॉक भी हमेशा दी जानी चाहिए
Any reply to this letter should be addressed to the Director,Map Archive & Dissemination Centre, and not to any officer by Name. The No. & Date of this letter should be quoted

सं0 संपदा– 807 / 13–के–ए / (vol. 21)

दिनांकः 28–03–2019

अधिसूचना

संदर्भः इस कार्यालय का पत्र सं0 2922 / 13–के–ए / (vol. 21) दि0 29–11–2018

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अंतर्गत हाथीबड़कला सर्वे एस्टेट स्थित सभी टाइप के आवासों के लिये नियमित आधार पर आवेदन मांगे गये थे। टाइप–V आवासों में अब कोई भी पात्र अधिकारी का आवेदन लंबित नहीं है तथा इस टाइप में कुछ आवास अभी खाली हैं। इसलिये पुनः नियमित / सशर्त आधार पर विभागीय अधिकारियों से आवास आवंटन आवेदन पहले–आओ पहले–पाओ के आधार पर आमंत्रित किये जाते हैं। विभागीय कर्मियों के आवेदन प्राप्त न होने पर अन्य केन्द्रीय विभागों के अधिकारियों को पहले–आओ पहले–पाओ के आधार पर उक्त टाइप के आवासों का आवंटन किया जायेगा। सशर्त आधार पर केवल लेवल–11 का अधिकारी एवं अन्य केन्द्रीय विभागों के लेवल–12 या इससे ऊपर के लेवल के अधिकारी आवास आवंटन हेतु पात्र होंगे।

सशर्त आधार पर आवंटन की स्थिति में पात्र विभागीय अधिकारियों के लिये आवास की आवश्यकता होने पर 30 दिन के नोटिस पर आवास खाली करना होगा, कोई आवास परिवर्तन नहीं दिया जायेगा तथा आवास जहां है, जैसा की स्थिति में स्वीकार करना होगा। यह अधिसूचना 31 दिसम्बर 2019 तक मान्य होगी, इच्छुक आवेदक इस कार्यालय के संपदा अनुभाग से आवेदन–प्रपत्र प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं।

इस अधिसूचना को समस्त अधिकारियों को परिचालन करने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय अध्यक्ष का होगा।

(आर० एम० घिल्डियाल)
अधिकारी सर्वेक्षक
कृते निदेशक, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र

प्रतिलिपिः–

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून।
2. अपर महासर्वेक्षक, विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून।
3. निदेशक, उत्तरी मुद्रण वर्ग।
4. निदेशक, उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ0प्र0भू0स्था0आं0 केन्द्र, देहरादून।
5. निदेशक, अंकीय मानचित्रण केन्द्र।
6. निदेशक, ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय भू–स्था0आं0 केन्द्र, देहरादून।
8. स्थापना एवं लेखाधिकारी, मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून।
10. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय नं0 2, हाथीबड़कला, देहरादून।
11. इंचार्ज, वेबसाइट, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SGO) को इस आग्रह के साथ, कि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।

E/C